झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या....65.... वर्ष 20..23..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती संगीता कुमारी,
ग्रा० - कलथर, पो०-रामूडीह,
था० -देवीपुर। जिला - देवघर।

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि
21/12/2023.

प्रतिवादी जिला समाज कल्याण पदा०,
देवघर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–65/2023 परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की राशि दो वर्ष बाद भी नहीं मिलने की शिकायत की गई है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx151

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–65 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देवीपुर द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को पत्रांक–14 दिनांक–10.01.2024 के माध्यम से पत्र भेजा गया है। उस पत्र की प्रति जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक–63 दिनांक–10.01.2024 के माध्यम से आयोग को समर्पित किया है। आयोग को समर्पित प्रतिवेदन में कुछ तकनिकी खामियों का उल्लेख किया गया है और आयोग को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि का भुगतान विभाग स्तर पर होता है। जिला स्तर पर अनुशंसा देखी जाती है। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा प्रतिवेदित पत्रांक–63 दिनांक–10.01.2024 को उसके साथ संलग्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देवीपुर के पत्रांक–14 दिनांक–10.01.2024 सहित विभागीय सचिव को अद्यतन कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाय, और विभागीय सचिव से अगली सुनवाई से पूर्व प्रतिवेदन की मांग की जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–65 / 2023

12-02-2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, देवघर वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित।

आयोग के 30.01.2024 के आदेश के अनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, न ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और न ही उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हैं। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को निदेश देता है कि वो लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बतायें कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई क्यों ना प्रारम्भ की जाय? इस बीच आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पुनः निदेशित करता है कि वे शिकायतकर्ता को जो राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई वो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.2024	**वाद संख्या–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। इस वाद की कार्रवाई परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर के द्वारा आयोग के वाट्सऐप पर किए गए message पर प्रारम्भ हुआ। परिवादी द्वारा आयोग के वाट्सऐप नं0 पर PMMVY की पूरी राशि दो वर्ष बाद भी नहीं निर्गत किए जाने का दावा करते हुए राशि दिलवाने का अनुरोध किया गया। आयोग के पत्रांक–1067 दिनांक–26.12.2023 द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया। अगली निर्धारित तिथि को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हुईं। उनके द्वारा परिवादी के मामले संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक–63 दिनांक–10.01.2023 द्वारा दिया गया। उनके द्वारा उक्त प्रतिवेदन में कतिपय तकनिकी कठिनाई का उल्लेख किया गया। उक्त प्रतिवेदन को कार्रवाई हेतु विभाग को आयोग के पत्रांक–96 दिनांक–25.01.2024 से भेजा गया। सुनवाई की अगली तिथि 12.02.2024 तक विभाग से कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ और न ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हुए। पुनः आज दिनांक–28.02.2024 को भी न तो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर उपस्थित हैं और न ही इस मामले में कृत कार्रवाई की सूचना विभाग अथवा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर से प्राप्त है। यह स्थिति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। पदाधिकारियों का दायित्व लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुरूप ससमय लाभ पहुँचाना है। यह ज्ञात हुआ कि निदेशालय स्तर से PMMVY के राशि का भुगतान सीधे लाभुकों के खाता में किया जाता है। अतः निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेशित किया जाता है कि मामले में आने वाले कठिनाईयों का समाधान कराते हुए, परिवादी को उनके अहर्त्ता के अनुरूप लाभ मुहैया कराया जाय। साथ ही इसकी सूचना आयोग को दी जाय। साथ ही वाद में दिनांक–12.02.2024 एवं 28.02.2024 को बगैर कारण बताए अनुपस्थित रहने के आरोप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय। आदेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही परिवादी के परिवाद पत्र एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति भी निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को भेजें। दिनांक– 28.03.2024 को अभिलेख उपस्थापित करें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx11	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी के पति, ग्राम0–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, देवघर ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायकर्ता के पति ने आयोग को आज की सुनवाई में बताया कि पिछले आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। शिकायकर्ता के पति ने बताया कि आयोग में सुनवाई प्रारम्भ होने के बाद दो अवसरों में उनसे संबंधित दस्तावेज की मांग की गई जो उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो इस आशय का स्पष्टीकरण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से पूछें कि आयोग के निदेश के बावजूद आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण क्यों नहीं प्रेषित किया गया और सुनवाई में भी वो न तो व्यक्तिगत तौर पर न ही उनके प्रतिनिधि सशरीर उपस्थित रहे न ही दूरभाष के माध्यम से। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो अगली सुनवाई से पूर्व लाभुक को योजना का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति शिकायतकर्ता के साथ–साथ सभी संबंधितों को अनुपालनार्थ भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx18	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–65/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला देवघर अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित। सुनवाई में उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा प्रेषित पत्रांक–644 दिनांक–10.04.2024 आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर ने आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में इस आशय का उल्लेख किया है कि लाभुक को 4000रू० की राशि उनके Account में भुगतान कर दिया है। आयोग नैसर्गिक न्याय के तहत शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दे रहा है। अगली सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यदि शिकायतकर्ता का कोई पक्ष आया तो आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को यथोचित निदेश देगा, अन्यथा इस वाद को निष्पादित मान लिया जायगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–29.04.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx24	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	**वाद संख्या–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, देवघर वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित। शिकायतकर्ता ने पिछली सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा रखे गये तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा की उन्हें 4000रू० की राशि प्राप्त हो गई है। शिकायतकर्ता ने इस वाद को निष्पादित करने का भी आग्रह किया। शिकायतकर्ता के आग्रह पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx28	